न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 64/2011

1 मृतका श्रीमती सजना देवी पत्नी स्व. बिरजुसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.। नोट– दौराने अपील दिनांक 11.08.2022 को देहान्त हो गया।
2 मालसिंह उम्र 64 साल पुत्र स्व. बिरजुसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 मृतक मानसिंह पुत्र स्व. बिरजुसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.। नोट– दौराने अपील दिनांक 12.07.2018 को देहान्त हो गया।
3/1 श्रीमती माया आयु 54 साल पत्नी स्व. मानसिंह
3/2 ललीत सिंह आयु 32 साल पुत्र स्व. मानसिंह
3/3 नरेश कुमार आयु 29 साल पुत्र स्व. मानसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 मृतका श्रीमती सुगनकंवर पुत्री स्व. बिरजुसिंह पत्नी स्व. मानसिंह उर्फ नानसिंह जाति राजपूत निवासी बायल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा। नोट– दौराने अपील देहान्त हो गया।
5 मृतक सुणसिंह पुत्र स्व. श्रवणा बाई व स्व. हरिसिंह जाति राजपूत निवासी बायल तहसील नारनौल जिला महेन्द्र हरियाणा। नोट– दौराने दावा देहान्त हो गया।
5/1 श्रीमती दीपादेवी पत्नी स्व. सुणसिंह
5/2 जिलेसिंह पुत्र स्व. सुणसिंह
5/3 कप्तान सिंह पुत्र स्व. सुणसिंह जाति राजपूत निवासी बायल तहसील नारनौल जिला महेन्द्र हरियाणा।
6 जगदीशसिंह पुत्र स्व. श्रीमती श्रवणाबाई व स्व. हरिसिंह जाति राजपूत निवासी बायल तहसील नारनौल जिला महेन्द्र हरियाणा।
7 श्रीमती बाबु कंवर पुत्री स्व. बिरजुसिंह पत्नी कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी हंसासर तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
8 श्रीमती उमरावकंवर पुत्री स्व. बिरजुसिंह पत्नी शायरसिंह जाति राजपूत निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
9 श्रीमती किरण कंवर पुत्री स्व. बिरजुसिंह पत्नी कृष्णसिंह जाति राजपूत निवासी काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बनाम

1 मृतका श्रीमती रामपति पत्नी स्व. हरिसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 श्योदयाल सिंह आयु 67 साल पुत्र स्व. हरिसिंह
3 रघुवीर सिंह आयु 37 साल पुत्र स्व. हरिसिंह जाति राजपूत निवासी श्यामपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 मृतका श्रीमती बसन्ती पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी गोपाल जी की तन नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.। नोट– दौराने अपील दिनांक 05.11.2022 को देहान्त हो गया।
4/1 प्रताप सिंह आयु 50 साल
4/2 रामचन्द्र उम्र 45 साल पुत्रगण स्व. श्रीमती बसन्ती व स्व. मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी गोपाल जी की तन नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
4/3 श्रीमती विनोद कंवर आयु 42 साल पुत्री स्व. श्रीमती बसन्ती व स्व. मोहन सिंह पत्नी रतनसिंह जाति राजपूत निवासी दूराना तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
4/4 श्रीमती सन्तरा कंवर आयु 40 साल पुत्री स्व. श्रीमती बसन्ती व स्व. मोहन सिंह पत्नी दलीपसिंह जाति राजपूत निवासी मिठी जणाऊ पोस्ट सुलखणीया बड़ा तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।
4/5 श्रीमती राधा कंवर आयु 35 साल पुत्री स्व. श्रीमती बसन्ती व स्व. मोहनसिंह पत्नी रूपसिंह जाति राजपूत निवासी मिठी जणाउ पोस्ट सुलखणीया बड़ा तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज.।
5 श्रीमती बिमला आयु 59 साल पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी स्व. रतनसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी गोपाल जी की तन नंगली सलेदीसिंह तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
6 मृतका श्रीमती रिसालकंवर पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी रोहतान सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम व पोस्ट बापोड़ा तहसील भिवानी जिला भिवानी हरियाणा। नोट–दौराने अपील दिनांक 04.07.2023 को देहान्त हो गया।
6/1 प्रताप सिंह आयु 35 साल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

6/2 मुकेश आयु 30 साल पुत्रगण स्व. श्रीमती रिसाल कंवर व स्व. रोहताश सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम व पोस्ट बापोड़ा तहसील भिवानी जिला भिवानी हरियाणा।

7 श्रीमती मनोहर कंवर आयु 44 साल पुत्री स्व. हरिसिंह पत्नी निहाल सिंह जाति राजपूत निवासी खोल पोस्ट खोल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

8 झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक झुन्झुनूं।

9 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

10 शिम्भु सिंह

11 सवाई सिंह

12 विक्रम सिंह पुत्रगण स्व. सुगन कंवर व मानसिंह उर्फ नानसिंह जाति राजपूत निवासी बायल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

13 संदीप सिंह

14 प्रदीप सिंह

15 कुलदीप सिंह पुत्रगण स्व. दलीप सिंह पौत्रगण स्व. श्रीमती सुगनकंवर व स्व. मानसिंह उर्फ नानसिंह जाति राजपूत निवासी बायल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

16 श्रीमती पिंकी कंवर पुत्री स्व. दलीप सिंह पत्नी श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी हरदास जी का बास तहसील तहसील अजीतगढ़ जिला सीकर।

17 श्रीमती रिशालकंवर पुत्र स्व. श्रीमती सुगनकंवर व स्व. मानसिंह उर्फ नानसिंह पत्नी कुबुलसिंह जाति राजपूत निवासी बड़ नगर पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।

18 श्रीमती राजबाई पुत्री स्व. श्रीमती सुगन कंवर व स्व. मानसिह उर्फ नानसिंह पत्नी स्व. भागीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी बड़नगर, पावटा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर।

19 श्रीमती शायर कंवर पुत्री स्व. सुगन कंवर व स्व. मानसिंह उर्फ नानसिह पत्नी रघुवीर जाति राजपूत निवासी जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 श्रीमती लिछमी कंवर पुत्री स्व. सुगन कंवर व स्व. मानसिंह पत्नी भरतसिंह जाति राजपूत निवासी जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ.धांरा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 13.04.2011
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी दावा उनवानी श्रीमती रामपति
वगे. बनाम श्रीमती सजना वगे. दावा खाता विभाजन दावा संख्या 06/01
तारीख पेशी दिनांक 11.05.2011

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 4/4/15

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 06/2001 में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक वाद खाता विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 553, 554, 555, 556, 582, 537, 770/345 वाके ग्राम श्यामपुरा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 553, 554, 555, 556, 582, 537, 770/345 वाके ग्राम श्यामपुरा के विभाजन का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिकी जारी की है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट का कथन रहा है कि अपीलान्टस की ओर से नकल खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श ए 2 पेश की गयी जिसमें बंटवारा हाना व इस बाबत इन्तकाल नम्बर 1 दिनांक 10.11.1944 को दर्ज होना अंकित है। खसरा गिरदावरी में बंटवारे के अनुसार अलग–अलग काश्त का रकबा दर्ज है। रेस्पोडेन्टस की ओर से केवल रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 श्योदयालसिंह व उसका गवाह रामनिवास के बयान हुये। गवाह रामनिवास दोनों पक्षकारों के अलग अलग कुये होना और अलग–अलग जमीन काश्त करना व सीमांकन होना अपने बयानों में मानता है। पीडब्ल्यू 1 श्योदयालसिंह ने अपने बयान में श्रीमती सरबती की वसीयत को माना है व अलग–अलग कुये अलग अलग जमीनों में होना स्वीकार करता है। पुरी जमीन को चार भागों में अलग–अलग काश्त करना स्वीकार करता है। इस प्रकार दस्तावेजी सबूत व रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 7 की ओर से प्रस्तुत जबानी साक्ष्य के अनुसार जमीन का विभाजन पहले से कर रखा है। यह स्वीकृत तथ्य है। विचारण न्यायालय ने इस स्वीकृत तथ्य पर गौर नहीं किया कि पक्षकारान अपनी–अपनी जमीनों में मकानात बनाकर आबद है और अलग–अलग सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण कर रखा है व अपने–अपने कुओं से अपनी अपनी जमीन सिंचित होती है इससे स्पष्ट है कि विवादित जमीन पहले से ही अपीलान्टस के कथन के अनुसार विभाजित है व पुनः विभाजन के लिये दावा लाने का हक रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 7 को नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें एवं मुताबिक विभाजन प्रदर्श–2 ए अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2022(1) रेव पेज 459, डीएनजे 2023(2) रेव पेज 1232 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी अपीलांट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री एवं काउंटर क्लेम के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की है। विधि अनुसार वाद एवं प्रतिदावे के निर्णय के विरूद्ध दो अपीले दायर होनी चाहिए कम्पोजिट अपील पोषणीय नहीं है। इस संदर्भ में आदेश 08 नियम 06 सीपीसी के स्पष्ट प्रावधान है। पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि में हिस्से को लेकर कोई विवाद नहीं है। विचारण न्यायालय ने वाद कथन व जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2020 पेज 312 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 553, 554, 555, 556, 582, 537, 770/345 वाके ग्राम श्यामपुरा के विभाजन का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस प्राथमिक डिक्री जारी की है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट का कथन रहा है कि अपीलान्टस की ओर से नकल खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्श ए 2 पेश की गयी जिसमें बंटवारा हाना व इस बाबत इन्तकाल नम्बर 1 दिनांक 10.11.1944 को दर्ज होना अंकित है। खसरा गिरदावरी में बंटवारे के अनुसार अलग-अलग काश्त का रकबा दर्ज है। रेस्पोडेन्टस की ओर से केवल रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 श्योदयालसिंह व उसका गवाह रामनिवास के बयान हुये। गवाह रामनिवास दोनों पक्षकारों के अलग अलग कुये होना और अलग-अलग जमीन काश्त करना व सीमांकन होना अपने बयानों में मानता है। पीडब्ल्यू 1 श्योदयालसिंह ने अपने बयान में श्रीमती सरबती की वसीयत को माना है व अलग-अलग कुये अलग अलग जमीनों में होना स्वीकार करता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी (कैम्प झुन्झुनूं)

पुरी जमीन को चार भागों में अलग–अलग काश्त करना स्वीकार करता है। इस प्रकार दस्तावेजी सबूत व रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 7 की ओर से प्रस्तुत जबानी साक्ष्य के अनुसार जमीन का विभाजन पहले से कर रखा है। यह स्वीकृत तथ्य है। विचारण न्यायालय ने इस स्वीकृत तथ्य पर गौर नहीं किया कि पक्षकारान अपनी–अपनी जमीनों में मकानात बनाकर आबद है और अलग–अलग सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण कर रखा है व अपने–अपने कुओं से अपनी अपनी जमीन सिंचित होती है इससे स्पष्ट है कि विवादित जमीन पहले से ही अपीलान्टस के कथन के अनुसार विभाजित है व पुनः विभाजन के लिये दावा लाने का हक रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 7 को नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व मौखिक साक्ष्य का विस्तृत विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट की आपत्ति रही है कि काउण्टर क्लेम एवं प्राथमिक डिक्री की कम्पोजिट अपील पोषणीय नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में विचाराधीन निर्णय से केवल प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। काउंटर क्लेम के संदर्भ में कोई निर्णय ही पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श–ए 2 ए नकल खतौनी बन्दोबस्त में अंकित विभाजन के संदर्भ में नये सिरे से तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विधि के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी